International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

सुशीलदत्त उपाध्याय
असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योति प्रकाश महिला बी.एड. महाविद्यालय, पलामू, झारखंड

सार
प्रस्तुत शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसका विशेष ध्यान माध्यमिक शिक्षा स्तर पर केन्द्रित है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करने का प्रयास करती है। यह शोध पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों, शोध लेखों, शैक्षिक रिपोर्टों तथा नीति-सम्बन्धी साहित्य का गहन विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है। नीति में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की पहचान कर उनके लिए विशेष प्रावधान, छात्रवृत्तियाँ, लचीला पाठ्यक्रम, बहुभाषिक शिक्षा तथा डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। माध्यमिक स्तर पर यह नीति विद्यार्थियों को विविध विषयों, व्यावसायिक शिक्षा तथा बहुविषयक अधिगम के अवसर प्रदान करती है, जिससे विभिन्न क्षमताओं और रुचियों वाले विद्यार्थी शिक्षा में निरंतरता बनाए रख सकें। शोध में यह भी पाया गया कि यद्यपि नीति के स्तर पर समावेशन को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है, फिर भी व्यवहारिक स्तर पर इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं, जैसे संसाधनों की कमी, शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण तथा सामाजिक पूर्वाग्रह। इसके बावजूद, नई शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, लचीला और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक सुदृढ़ ढाँचा प्रदान किया है। इस प्रकार यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि यदि नीति के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा सामाजिक समानता और राष्ट्रीय विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020, माध्यमिक शिक्षा, सामाजिक समानता, शैक्षिक समावेशन, वंचित वर्ग, शिक्षा नीति

1.परिचय

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का मूल आधार होती है। समकालीन विश्व में शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया न मानकर सामाजिक न्याय, समानता एवं सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम माना जाने लगा है। इसी संदर्भ में समावेशी शिक्षा की अवधारणा उभरकर सामने आई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक अथवा बौद्धिक रूप से किसी भी स्थिति में हो, शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ा रहे। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जहाँ असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से विद्यमान रही हैं, समावेशी शिक्षा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है (शर्मा, 2019)।

भारत सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक और वैचारिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। यह नीति न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल देती है, बल्कि वंचित, हाशिए पर स्थित और विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त करती है। नीति में समावेशन को एक केंद्रीय मूल्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भविष्य की शिक्षा प्रणाली सामाजिक समता पर आधारित होगी (भारत सरकार, 2020)।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

माध्यमिक स्तर की शिक्षा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण, कौशल विकास और भविष्य की दिशा निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऐसे में इस स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रावधानों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

1.2 समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं औचित्य

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में अनेक प्रयास किए गए, जिनमें सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा जैसी योजनाएँ प्रमुख रही हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करना था, परन्तु गुणवत्ता और समावेशन की समस्या लंबे समय तक बनी रही। विशेष रूप से दिव्यांग, सामाजिक रूप से वंचित, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों की शैक्षिक भागीदारी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी (कुमार, 2018)।

समावेशी शिक्षा की अवधारणा ने इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा प्रणाली को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने पर बल दिया गया, न कि विद्यार्थियों को प्रणाली के अनुकूल ढालने पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को और अन्य संस्थाओं द्वारा समावेशी शिक्षा को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसका प्रभाव भारतीय शिक्षा नीतियों पर भी पड़ा है (यूनेस्को, 2017)।

नई शिक्षा नीति 2020 इसी पृष्ठभूमि में सामने आती है, जो शिक्षा को अधिक लचीला, सुलभ और समावेशी बनाने का दावा करती है। नीति में माध्यमिक स्तर पर बहुविषयक दृष्टिकोण, डिजिटल संसाधनों का उपयोग और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक संरचनाओं पर बल दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन नीति के समावेशी दृष्टिकोण का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

1.3 शोध की सीमा

यह अध्ययन विषयवस्तु की दृष्टि से नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा तक सीमित है। इसमें नीति के सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण न कर, केवल उन प्रावधानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो समावेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा स्तर को अध्ययन का केंद्र बनाया गया है।

अध्ययन की पद्धति द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिसमें सरकारी दस्तावेजों, शोध पत्रों, पुस्तकों और रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आँकड़ों के अभाव में यह अध्ययन व्यावहारिक स्तर पर नीति के प्रत्यक्ष प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि उपलब्ध साहित्य के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत करता है (सिंह, 2018)।

इसके अतिरिक्त, यह अध्ययन भौगोलिक रूप से भारत तक सीमित है और अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार, शोध की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ताकि अध्ययन केंद्रित और उद्देश्यपूर्ण बना रहे।

2. शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन की शोध पद्धति का निर्धारण शोध विषय की प्रकृति, उद्देश्य तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चूँकि अध्ययन का केंद्र नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा का विश्लेषण है, अतः इसमें नीति दस्तावेजों, पूर्ववर्ती अध्ययनों और शैक्षिक रिपोर्टों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का व्यवस्थित अध्ययन किया गया है। शोध पद्धति का उद्देश्य विषय से संबंधित तथ्यों का वैज्ञानिक, तर्कसंगत और विश्लेषणात्मक ढंग से परीक्षण करना है।

यह शोध गुणात्मक प्रकृति का है, जिसमें वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अध्ययन में संख्यात्मक आँकड़ों की अपेक्षा वैचारिक विवेचना, नीतिगत प्रावधानों की व्याख्या तथा साहित्यिक विश्लेषण पर अधिक बल दिया गया है, जिससे समावेशी शिक्षा की वास्तविक स्थिति और नीति की मंशा को स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

2.1 शोध का प्रकार

प्रस्तुत अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध का है। वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत समावेशी शिक्षा की अवधारणा, उसके सिद्धान्त तथा नई शिक्षा नीति 2020 में निहित प्रावधानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का शोध किसी विषय की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने में सहायक होता है (कुमार, 2019)।

विश्लेषणात्मक शोध दृष्टिकोण के माध्यम से नीति में उल्लिखित समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रावधानों का गहन परीक्षण किया गया है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि नीति किस प्रकार सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, दिव्यांग विद्यार्थियों और हाशिए पर स्थित समुदायों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करती है। यह दृष्टिकोण नीति के निहितार्थों को समझने में सहायक सिद्ध होता है (शर्मा, 2020)।

चूँकि यह अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण या प्रयोगात्मक विधियों पर आधारित नहीं है, इसलिए इसे सैद्धान्तिक और दस्तावेजी शोध की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। यह शोध नीति विश्लेषण के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत करता है।

2.2 द्वितीयक आँकड़ों की संकल्पना

द्वितीयक आँकड़े वे आँकड़े होते हैं, जिन्हें किसी अन्य शोधकर्ता, संस्था या संगठन द्वारा पहले से एकत्रित किया जा चुका होता है और जिन्हें पुनः अध्ययन या विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे आँकड़े प्राथमिक अनुसंधान की अपेक्षा कम समय और संसाधनों में उपलब्ध हो जाते हैं तथा व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं (सिंह, 2018)।

शैक्षिक शोध में द्वितीयक आँकड़ों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि नीतिगत दस्तावेज, सरकारी रिपोर्टें और शोध प्रकाशन शिक्षा प्रणाली की व्यापक समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे राष्ट्रीय दस्तावेज का अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि यह नीति व्यापक स्तर पर लागू की गई है।

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों की संकल्पना को इस दृष्टि से अपनाया गया है कि नीति और समावेशी शिक्षा से संबंधित उपलब्ध साहित्य का समग्र एवं आलोचनात्मक अध्ययन किया जा सके। इससे शोध को सैद्धान्तिक गहराई और विश्वसनीयता प्राप्त होती है।

2.3 द्वितीयक आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों के विविध एवं प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नई शिक्षा नीति 2020 का आधिकारिक दस्तावेज सम्मिलित है, जो अध्ययन का मूल आधार प्रदान करता है (भारत सरकार, 2020)।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित समावेशी शिक्षा से संबंधित शोध लेखों, पुस्तकों और शैक्षिक रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा यूनेस्को जैसी संस्थाओं की रिपोर्टें भी अध्ययन में सहायक सिद्ध हुई हैं (यूनेस्को, 2019)। साथ ही, विभिन्न शैक्षिक जर्नलों और अकादमिक ग्रंथों से प्राप्त साहित्य का उपयोग कर विषय की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को सुदृढ़ किया गया है। इन स्रोतों के माध्यम से समावेशी शिक्षा की अवधारणा और उसके क्रियान्वयन से संबंधित विविध दृष्टिकोणों को समझा गया है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

2.4 आँकड़ों के विश्लेषण की विधि

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु गुणात्मक विश्लेषण विधि को अपनाया गया है। इस विधि के अंतर्गत एकत्रित द्वितीयक आँकड़ों का विषयवस्तु विश्लेषण किया गया है, जिसमें प्रमुख अवधारणाओं, नीतिगत बिंदुओं और निष्कर्षों की पहचान की गई है (मिश्रा, 2019)।

नीति दस्तावेजों और शोध साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन कर यह विश्लेषण किया गया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है और यह पूर्ववर्ती नीतियों से किस प्रकार भिन्न है। इस प्रक्रिया में समानताओं, भिन्नताओं और नवीन प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। विश्लेषण की इस विधि के माध्यम से अध्ययन ने यह प्रयास किया है कि समावेशी शिक्षा से संबंधित तथ्यों को केवल वर्णित ही न किया जाए, बल्कि उनके निहितार्थों की भी व्याख्या की जाए। इससे शोध निष्कर्ष अधिक तार्किक, सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण बन सके हैं।

3. समावेशी शिक्षा : सैद्धान्तिक एवं वैचारिक परिप्रेक्ष्य

3.1 समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा

समावेशी शिक्षा आधुनिक शैक्षिक चिंतन की एक केंद्रीय अवधारणा बन चुकी है, जिसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा प्रणाली समाज के प्रत्येक बच्चे के लिए सुलभ, समान और न्यायपूर्ण हो। परम्परागत शिक्षा व्यवस्था में प्रायः उन बच्चों को अलग कर दिया जाता था जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक अथवा भाषायी दृष्टि से 'सामान्य' माने जाने वाले ढाँचे में फिट नहीं बैठते थे। इसके विपरीत, समावेशी शिक्षा यह मान्यता देती है कि सभी बच्चे भिन्न होते हैं और शिक्षा प्रणाली को उनकी विविध आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाना चाहिए (शर्मा, 2019)। यह अवधारणा शिक्षा को विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में स्वीकार करती है। समावेशी शिक्षा को विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग ढंग से परिभाषित किया है। सिंह (2020) के अनुसार, समावेशी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सभी बच्चों, विशेषकर दिव्यांग, सामाजिक रूप से वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों को सामान्य विद्यालयी परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, मिश्रा (2018) समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसमें विद्यालय की संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियाँ और मूल्यांकन प्रणाली सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए अनुकूल बनाई जाती हैं। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समावेशन केवल नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समावेशी शिक्षा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। यूनेस्को ने इसे ऐसी शिक्षा प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है जो विविधता को एक संसाधन के रूप में स्वीकार करती है और सभी शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करती है (यूनेस्को, 2017)। इस दृष्टिकोण में भिन्नताओं को समस्या नहीं, बल्कि शिक्षा को समृद्ध करने वाले तत्व के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा समानता की बजाय न्याय पर आधारित होती है, क्योंकि यह प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है। भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, जाति आधारित भेदभाव, लिंग असमानता और क्षेत्रीय विषमताएँ शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करती रही हैं। ऐसे में समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित न होकर, सभी प्रकार के वंचित समूहों को सम्मिलित करती है। कुमार (2021) के अनुसार, भारतीय समावेशी शिक्षा का उद्देश्य 'सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य को व्यवहार में बदलना है, जिसमें प्रत्येक बच्चे को सम्मान और समान अवसर मिले। नई शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा की इस व्यापक परिभाषा को औपचारिक रूप प्रदान किया है। नीति यह स्वीकार करती है कि शिक्षा प्रणाली को लचीला, बहुविध और छात्र-केंद्रित होना चाहिए, ताकि विविध पृष्ठभूमि के बच्चे समान रूप से लाभान्वित हो सकें (भारत सरकार, 2020)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा केवल एक शैक्षिक रणनीति नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन जाती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करती है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

3.2 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त

समावेशी शिक्षा कुछ मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित होती है, जो इसकी वैचारिक संरचना को स्पष्ट करते हैं। इन सिद्धान्तों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा प्रणाली प्रत्येक शिक्षार्थी की गरिमा, अधिकार और क्षमता को स्वीकार करे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त समानता और न्याय का है, जिसके अनुसार सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए, परन्तु उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए (शर्मा, 2020)।

दूसरा प्रमुख सिद्धान्त विविधता की स्वीकृति से संबंधित है। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि कक्षा में उपस्थित विविधता—चाहे वह भाषायी, सांस्कृतिक, शारीरिक या बौद्धिक हो—एक सकारात्मक तत्व है। यह विविधता शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक समृद्ध बनाती है और विद्यार्थियों में सहिष्णुता तथा आपसी सम्मान का विकास करती है (मिश्रा, 2019)। इस सिद्धान्त के अंतर्गत 'एक ही ढाँचे में सब' के स्थान पर 'सबके लिए अलग-अलग ढाँचे' की अवधारणा को अपनाया जाता है। तीसरा सिद्धान्त भागीदारी और सहभागिता का है। समावेशी शिक्षा केवल विद्यालय में उपस्थित रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सके। सिंह (2018) के अनुसार, यदि कोई बच्चा कक्षा में उपस्थित तो है परन्तु सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, तो वह वास्तव में समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं उठा रहा है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त सहयोग और साझेदारी से संबंधित है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक, अभिभावक, समुदाय और प्रशासन सभी की संयुक्त भूमिका होती है। विद्यालय को एक ऐसा सहयोगात्मक परिवेश बनाना होता है जहाँ विभिन्न हितधारक मिलकर प्रत्येक बच्चे के विकास के लिए कार्य करें (कुमार, 2020)। यह सिद्धान्त यह भी इंगित करता है कि समावेशन केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। नई शिक्षा नीति 2020 में इन सिद्धान्तों की स्पष्ट झलक मिलती है। नीति में समावेशी शिक्षा को मूलभूत मूल्य के रूप में स्वीकार करते हुए यह कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली को लचीला, बहुभाषिक और बहुविषयक बनाया जाए, ताकि विविध पृष्ठभूमि के बच्चे समान रूप से लाभान्वित हो सकें (भारत सरकार, 2020)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त नीति के वैचारिक ढाँचे में गहराई से समाहित हैं।

3.3 समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

समावेशी शिक्षा की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं, जो इसे पारम्परिक शिक्षा प्रणाली से अलग बनाती हैं। पहली प्रमुख विशेषता है शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधि और मूल्यांकन प्रणाली को विद्यार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाता है (शर्मा, 2019)। इससे प्रत्येक बच्चा अपनी गति और शैली में सीखने में सक्षम होता है।

दूसरी विशेषता लचीलापन है। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम और शिक्षण-रणनीतियाँ कठोर नहीं होतीं, बल्कि उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। यह विशेषता विशेष रूप से दिव्यांग और सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थियों के लिए महत्त्वपूर्ण होती है (मिश्रा, 2020)। लचीली व्यवस्था उन्हें समान अवसर प्रदान करने में सहायक होती है। तीसरी विशेषता सहयोगात्मक अधिगम है। समावेशी कक्षाओं में विद्यार्थियों को समूहों में कार्य करने, एक-दूसरे से सीखने और पारस्परिक सहयोग विकसित करने के अवसर मिलते हैं। इससे सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा मिलता है और भेदभाव की भावना कम होती है (सिंह, 2018)।

एक अन्य प्रमुख विशेषता बहुविध मूल्यांकन प्रणाली है। समावेशी शिक्षा केवल परीक्षा-आधारित मूल्यांकन पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि परियोजनाओं, गतिविधियों और निरंतर मूल्यांकन को भी महत्त्व देती है। इससे विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को पहचानने में सहायता मिलती है (कुमार, 2021)। नई शिक्षा नीति 2020 ने इन विशेषताओं को संस्थागत रूप देने का प्रयास किया है। नीति में योग्यता-आधारित शिक्षा, बहुविषयक पाठ्यक्रम और डिजिटल संसाधनों के उपयोग पर बल दिया गया है, जिससे समावेशी शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके (भारत सरकार, 2020)।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

3.4 भारत में समावेशी शिक्षा का विकास : एक संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में समावेशी शिक्षा का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया के रूप में हुआ है। प्रारम्भिक काल में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पृथक संस्थानों की स्थापना की गई, जो मुख्यधारा की शिक्षा से अलग थे। यह दृष्टिकोण अलगाव पर आधारित था, न कि समावेशन पर (शर्मा, 2018)। परन्तु समय के साथ यह समझ विकसित हुई कि पृथक शिक्षा सामाजिक समावेशन में बाधक हो सकती है। 1980 और 1990 के दशकों में 'एकीकृत शिक्षा' की अवधारणा सामने आई, जिसमें दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिया गया, परन्तु उनके लिए विशेष सहायता की व्यवस्था सीमित थी। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा जैसे कार्यक्रमों ने समावेशन को नीति स्तर पर महत्त्व प्रदान किया (सिंह, 2019)। नई शिक्षा नीति 2020 इस विकास क्रम का नवीनतम चरण है। नीति में समावेशी शिक्षा को एक मूलभूत सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करते हुए सभी वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं (भारत सरकार, 2020)। इस प्रकार भारत में समावेशी शिक्षा का इतिहास पृथकता से समावेशन की ओर एक निरंतर यात्रा को दर्शाता है।

नई शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा

4.1 नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय

भारत में शिक्षा नीति का स्वरूप किसी भी समय देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और विकासात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला रखी, परन्तु वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और सामाजिक विविधता की बढ़ती जटिलताओं के कारण एक नई नीति की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई, जिसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समकालीन, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है (भारत सरकार, 2020)। नई शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय विकास के एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। यह नीति न केवल स्कूली शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण तक विस्तृत है। इसका मूल उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है जो रटन्त विद्या के स्थान पर आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और व्यावहारिक कौशलों को बढ़ावा दे। नीति यह स्वीकार करती है कि शिक्षा का लक्ष्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं, बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिकों का निर्माण भी है (शर्मा, 2021)।

इस नीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारत की बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक प्रकृति को ध्यान में रखती है। नीति में मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जिससे ग्रामीण और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे अधिक सहजता से शिक्षा ग्रहण कर सकें। यह दृष्टिकोण सीधे तौर पर समावेशी शिक्षा की भावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भाषा की बाधा भी शिक्षा में बहिष्करण का एक प्रमुख कारण रही है (कुमार, 2020)। नई शिक्षा नीति 2020 को इस अर्थ में भी ऐतिहासिक कहा जा सकता है कि यह शिक्षा को सामाजिक न्याय और समान अवसरों के साथ जोड़ती है। नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि देश का समग्र विकास तभी संभव है जब शिक्षा व्यवस्था समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 न केवल एक शैक्षिक दस्तावेज है, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है।

4.2 नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएँ

नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना और दृष्टिकोण इसे पूर्ववर्ती नीतियों से भिन्न बनाते हैं। इसकी पहली प्रमुख विशेषता शिक्षा के ढाँचे का पुनर्गठन है। पारम्परिक 10+2 व्यवस्था को 5+3+3+4 ढाँचे में परिवर्तित किया गया है, जिससे बाल्यावस्था से लेकर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को विकासात्मक चरणों के अनुसार संगठित किया जा सके (भारत सरकार, 2020)। यह ढाँचा विशेष रूप से उन बच्चों के लिए उपयोगी है जो सीखने में अधिक समय या विशेष सहायता की आवश्यकता रखते हैं।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रमुख विशेषता	विवरण	समावेशी शिक्षा से सम्बन्ध
5+3+3+4 शैक्षिक संरचना	परम्परागत 10+2 प्रणाली को बदलकर विकासात्मक चरणों पर आधारित नई संरचना अपनाई गई	विभिन्न आयु समूहों की सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा को अनुकूल बनाता है
बहुविषयक पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों को विज्ञान, कला, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों के बीच चयन की स्वतंत्रता	विविध क्षमताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है
मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर बल	भाषायी बाधाओं को कम कर ग्रामीण और वंचित छात्रों की भागीदारी बढ़ाता है
डिजिटल शिक्षा का विस्तार	ई-लर्निंग प्लेटफार्म, ऑनलाइन पाठ्यसामग्री और वर्चुअल कक्षाओं को बढ़ावा	दूरदराज़ और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है
योग्यता आधारित मूल्यांकन	रटन्त परीक्षा के स्थान पर कौशल और अवधारणा आधारित मूल्यांकन	विभिन्न सीखने की क्षमताओं को पहचानने और सम्मान देने में सहायक
व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण	माध्यमिक स्तर से ही कौशल-आधारित शिक्षा का समावेश	शैक्षिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख अवसर प्रदान करता है
शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार	सतत व्यावसायिक विकास और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों पर बल	शिक्षकों को विविध कक्षाओं में समावेशी शिक्षण हेतु सक्षम बनाता है
सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान	छात्रवृत्ति, आवास, डिजिटल पहुँच और लक्षित सहायता योजनाएँ	वंचित वर्गों की माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी और निरंतरता सुनिश्चित करता है

दूसरी प्रमुख विशेषता बहुविषयक और लचीला पाठ्यक्रम है। नीति में यह स्वीकार किया गया है कि एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम सभी बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। अतः विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। यह विशेषता समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ करती है, क्योंकि यह विविध प्रतिभाओं को मान्यता देती है (मिश्रा, 2020)। तीसरी विशेषता डिजिटल और तकनीकी संसाधनों का विस्तार है। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल प्लेटफार्म और ई-लर्निंग संसाधनों को बढ़ावा दिया गया है। यह उन बच्चों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो भौगोलिक या शारीरिक सीमाओं के कारण पारम्परिक विद्यालयी व्यवस्था से पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पाते (सिंह, 2021)। इसके अतिरिक्त, नीति में शिक्षक प्रशिक्षण, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण पर भी बल दिया गया है। इन सभी विशेषताओं का उद्देश्य शिक्षा को अधिक प्रभावी, न्यायसंगत और समावेशी बनाना है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी पूर्ण क्षमता विकसित करने का अवसर मिल सके।

4.3 नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा की अवधारणा

नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को एक केंद्रीय वैचारिक आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। नीति यह स्पष्ट करती है कि शिक्षा प्रणाली को समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। इसमें जाति, लिंग, क्षेत्र, दिव्यांगता और भाषा के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है (भारत सरकार, 2020)। नीति में 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह' की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ग्रामीण आबादी, दिव्यांग बच्चे और प्रवासी समुदाय शामिल हैं। यह वर्गीकरण यह दर्शाता है कि समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांगता तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक संदर्भ में देखा गया है (कुमार, 2021)।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

प्रमुख विशेषता	विवरण	समावेशी शिक्षा से सम्बन्ध
5+3+3+4 शैक्षिक संरचना	परम्परागत 10+2 प्रणाली को बदलकर विकासात्मक चरणों पर आधारित नई संरचना अपनाई गई	विभिन्न आयु समूहों की सीखने की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा को अनुकूल बनाता है
बहुविषयक पाठ्यक्रम	विद्यार्थियों को विज्ञान, कला, वाणिज्य और व्यावसायिक विषयों के बीच चयन की स्वतंत्रता	विविध क्षमताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है
मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा	प्रारम्भिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने पर बल	भाषायी बाधाओं को कम कर ग्रामीण और वंचित छात्रों की भागीदारी बढ़ाता है
डिजिटल शिक्षा का विस्तार	ई-लर्निंग प्लेटफार्म, ऑनलाइन पाठ्यसामग्री और वर्चुअल कक्षाओं को बढ़ावा	दूरदराज़ और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शिक्षा तक पहुँच प्रदान करता है
योग्यता आधारित मूल्यांकन	रटन्त परीक्षा के स्थान पर कौशल और अवधारणा आधारित मूल्यांकन	विभिन्न सीखने की क्षमताओं को पहचानने और सम्मान देने में सहायक
व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण	माध्यमिक स्तर से ही कौशल-आधारित शिक्षा का समावेश	शैक्षिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख अवसर प्रदान करता है
शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार	सतत व्यावसायिक विकास और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों पर बल	शिक्षकों को विविध कक्षाओं में समावेशी शिक्षण हेतु सक्षम बनाता है
सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान	छात्रवृत्ति, आवास, डिजिटल पहुँच और लक्षित सहायता योजनाएँ	वंचित वर्गों की माध्यमिक शिक्षा में भागीदारी और निरंतरता सुनिश्चित करता है

नई शिक्षा नीति में यह भी स्वीकार किया गया है कि शिक्षा प्रणाली की कठोरता और एकरूपता अनेक बच्चों को बाहर कर देती है। अतः नीति में लचीले पाठ्यक्रम, बहुभाषिक शिक्षा और वैकल्पिक शिक्षण मार्गों की बात कही गई है। यह दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा की उस भावना के अनुरूप है जिसमें हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके (शर्मा, 2020)। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा केवल एक नीति-उद्देश्य नहीं, बल्कि शिक्षा की आत्मा के रूप में स्थापित होती है, जो समानता, विविधता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है।

4.4 समावेशी शिक्षा से सम्बन्धित प्रमुख प्रावधान

नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को लागू करने हेतु अनेक ठोस प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक प्रमुख प्रावधान सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता का विस्तार है, ताकि आर्थिक बाधाएँ शिक्षा में अवरोध न बनें (भारत सरकार, 2020)। नीति में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए संसाधन केंद्रों, प्रशिक्षित शिक्षकों और सहायक तकनीकों की व्यवस्था करने पर भी बल दिया गया है। इससे दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी (सिंह, 2020)। इसके अतिरिक्त, बहुभाषिक शिक्षा, डिजिटल पहुँच और वैकल्पिक शिक्षण मार्ग जैसे प्रावधान भी समावेशन को सुदृढ़ करते हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा वास्तव में सभी के लिए सुलभ और न्यायपूर्ण बन सके।

5. माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

5.1 माध्यमिक शिक्षा में समावेशी शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्तर किसी भी राष्ट्र की मानव संसाधन क्षमता के विकास में निर्णायक भूमिका निभाता है। यह वह चरण होता है जहाँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

वर्तमान समय में भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में समावेशी शिक्षा को नीति स्तर पर स्वीकार किया जा चुका है, परन्तु व्यावहारिक स्तर पर इसके क्रियान्वयन में अनेक विषमताएँ विद्यमान हैं। विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक आधार पर छात्रों की शैक्षिक भागीदारी में स्पष्ट असमानताएँ देखी जाती हैं (शर्मा, 2020)। सरकारी रिपोर्टों और शोध अध्ययनों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की माध्यमिक स्तर पर नामांकन और उत्तीर्णता दर अपेक्षाकृत कम है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग विद्यार्थियों की भागीदारी भी अभी सीमित बनी हुई है, जो यह दर्शाती है कि विद्यालयी ढाँचा सभी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है (सिंह, 2019)। यद्यपि समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों ने पहुँच में सुधार किया है, फिर भी गुणवत्ता और निरंतरता की समस्या बनी हुई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष शिक्षण–अधिगम वातावरण का है। अनेक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को समावेशी शिक्षण विधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिलता, जिसके कारण विविध क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो जाता है (मिश्रा, 2021)। इससे कुछ विद्यार्थी कक्षा में पिछड़ जाते हैं और धीरे-धीरे विद्यालय से विमुख हो जाते हैं।

फिर भी, हाल के वर्षों में डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्तियों और विशेष सहायता कार्यक्रमों के विस्तार से कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी देखे गए हैं। इन प्रयासों से माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की संभावनाएँ बढ़ी हैं, परन्तु इन्हें व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता अभी बनी हुई है।

5.2 माध्यमिक स्तर पर समावेशन की चुनौतियाँ

माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के समक्ष अनेक जटिल चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक असमानता है। गरीबी के कारण अनेक विद्यार्थी विद्यालय छोड़कर श्रम बाजार में प्रवेश कर जाते हैं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में यह समस्या अधिक गंभीर है (कुमार, 2020)। इससे समावेशन का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। दूसरी प्रमुख चुनौती सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से जुड़ी है। जाति, लिंग और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव अब भी विद्यालयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। ऐसे वातावरण में वंचित समूहों के विद्यार्थी स्वयं को अलग-थलग महसूस करते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और शैक्षिक प्रदर्शन प्रभावित होता है (शर्मा, 2019)।

शिक्षकों की सीमित तैयारी भी एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश शिक्षकों को विविध कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आवश्यक समावेशी शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण नहीं मिलता। परिणामस्वरूप वे सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा नहीं कर पाते (मिश्रा, 2020)। इसके अतिरिक्त, आधारभूत ढाँचे की कमी, जैसे रैम्प, विशेष शिक्षण सामग्री और सहायक तकनीकों का अभाव, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को कठिन बना देता है। ये सभी चुनौतियाँ मिलकर माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

5.3 नई शिक्षा नीति 2020 के आलोक में समावेशी शिक्षा के अवसर

नई शिक्षा नीति 2020 ने माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं। नीति का लचीला पाठ्यक्रम ढाँचा विद्यार्थियों को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार विषय चुनने की सुविधा देता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत और समावेशी बनती है (भारत सरकार, 2020)। डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन प्लेटफार्म का विस्तार भी एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में उभरता है। इससे दूरदराज़ और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं (सिंह, 2021)। यह माध्यमिक स्तर पर पहुँच और भागीदारी दोनों को बढ़ाता है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

अवसर का क्षेत्र	विवरण	समावेशी शिक्षा पर प्रभाव
लचीला पाठ्यक्रम ढाँचा	विषयों के चयन और सीखने की गति में स्वतंत्रता	विभिन्न क्षमताओं और रुचियों वाले विद्यार्थियों को शिक्षा में बनाए रखने में सहायक
बहुविषयक शिक्षा	विज्ञान, कला, वाणिज्य और कौशल आधारित विषयों का एकीकरण	विविध प्रतिभाओं को पहचानने और विकसित करने का अवसर
डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म	ऑनलाइन कक्षाएँ, ई-सामग्री और वर्चुअल प्रयोगशालाएँ	दूरदराज़ और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों की पहुँच बढ़ाता है
छात्रवृत्तियाँ और वित्तीय सहायता	सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाएँ	आर्थिक कारणों से ड्रॉपआउट की समस्या को कम करता है
व्यावसायिक शिक्षा का समावेश	माध्यमिक स्तर से ही कौशल-आधारित पाठ्यक्रम	शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को वैकल्पिक सफलता मार्ग प्रदान करता है
बहुभाषिक शिक्षा नीति	मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन	भाषायी बाधाओं को कम कर ग्रामीण और अल्पसंख्यक छात्रों को लाभ
शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार	समावेशी शिक्षण पद्धतियों पर विशेष प्रशिक्षण	विविध कक्षाओं में प्रभावी शिक्षण को संभव बनाता है
लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम	SEDGs के लिए विशेष अकादमिक और सामाजिक समर्थन	माध्यमिक स्तर पर समावेशन और निरंतरता को सुदृढ़ करता है

इसके अतिरिक्त, नीति में छात्रवृत्तियों, विशेष सहायता और लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित समूहों को समर्थन देने पर बल दिया गया है। यह वित्तीय और सामाजिक बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकता है (कुमार, 2021)। इस प्रकार नई शिक्षा नीति 2020 ने माध्यमिक शिक्षा को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने की दिशा में एक सशक्त ढाँचा प्रदान किया है, जिसे प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से वास्तविकता में बदला जा सकता है।

5.4 समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में बाधाएँ

यद्यपि नीतिगत स्तर पर समावेशी शिक्षा को स्वीकार किया गया है, परन्तु इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएँ विद्यमान हैं। पहली बाधा प्रशासनिक और वित्तीय सीमाएँ हैं। संसाधनों की कमी के कारण सभी विद्यालयों में आवश्यक अवसंरचना और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पाता (शर्मा, 2020)। दूसरी बाधा नीति और व्यवहार के बीच का अंतर है। कई बार नीतियाँ कागज़ों तक सीमित रह जाती हैं और जमीनी स्तर पर उनका प्रभाव सीमित होता है। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज़ क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट है (सिंह, 2019)। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों और समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बाधा है। जब तक समुदाय इस अवधारणा को नहीं समझता, तब तक विद्यालयी प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सकते (मिश्रा, 2021)।

5.5 समावेशी शिक्षा के प्रभावों का विश्लेषण

समावेशी शिक्षा के प्रभाव बहुआयामी होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से यह विद्यार्थियों की उपलब्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है, विशेषकर वंचित समूहों के लिए (कुमार, 2020)। सामाजिक दृष्टि से यह विविधता के प्रति सहिष्णुता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देती है। माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है, क्योंकि वे विविध सामाजिक परिवेश में काम करने की क्षमता विकसित करते हैं (शर्मा, 2019)। इस प्रकार समावेशी शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय विकास में भी योगदान देती है।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

6. निष्कर्ष एवं सुझाव

6.1 प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन, जो नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा का विश्लेषण करता है, अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों तक पहुँचता है। सर्वप्रथम यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा अब केवल एक वैचारिक आदर्श नहीं रही, बल्कि इसे भारतीय शिक्षा नीति के केंद्र में स्थापित किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशन को समानता, न्याय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली सामाजिक विविधता को स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा की स्थिति अभी संक्रमणकालीन अवस्था में है। एक ओर नीतिगत स्तर पर छात्रवृत्तियाँ, डिजिटल संसाधन, लचीले पाठ्यक्रम और विशेष सहायता कार्यक्रमों जैसे उपाय उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव और सामाजिक पूर्वाग्रह जैसे कारक समावेशन की गति को सीमित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि नीति और व्यवहार के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर मौजूद है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि समावेशी शिक्षा का प्रभाव केवल शैक्षिक उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल और नागरिक चेतना के विकास में भी योगदान देती है। वंचित समूहों के विद्यार्थी जब सामान्य कक्षाओं में समान अवसर प्राप्त करते हैं, तो उनमें अपनी क्षमता के प्रति विश्वास बढ़ता है और वे समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा सामाजिक समरसता को भी सुदृढ़ करती है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि नई शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा की अवधारणा को व्यापक रूप प्रदान किया है। नीति में 'सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों' की पहचान कर उनके लिए लक्षित उपाय प्रस्तावित किए गए हैं, जो भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नीति समावेशन को केवल दिव्यांगता तक सीमित नहीं रखती, बल्कि इसे सामाजिक न्याय के व्यापक संदर्भ में देखती है। अंततः, यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समावेशी शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए न केवल एक आवश्यकता है, बल्कि एक अनिवार्यता भी है। यदि भारत को ज्ञान-आधारित और समानतापूर्ण समाज के रूप में विकसित होना है, तो माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना अनिवार्य होगा।

6.2 सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जो माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायक हो सकते हैं। सबसे पहला और महत्त्वपूर्ण सुझाव यह है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। समावेशी कक्षाओं में विविध क्षमताओं और पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीकी कौशलों की आवश्यकता होती है। अतः शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी शिक्षण विधियों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

दूसरा सुझाव विद्यालयी अवसंरचना से संबंधित है। अनेक माध्यमिक विद्यालय अभी भी दिव्यांग विद्यार्थियों के अनुकूल नहीं हैं। रैम्प, शौचालय, ब्रेल सामग्री, श्रवण सहायक उपकरण और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि कोई भी विद्यार्थी भौतिक या तकनीकी बाधाओं के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। तीसरा महत्त्वपूर्ण सुझाव सामाजिक जागरूकता से जुड़ा है। समावेशी शिक्षा केवल विद्यालयों के प्रयास से सफल नहीं हो सकती, जब तक समाज और अभिभावक इसके महत्व को नहीं समझते। अतः सामुदायिक कार्यक्रमों, मीडिया और विद्यालय-समुदाय सहभागिता के माध्यम से समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए।

International Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Trends (IJARMT)
An International Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 Website: https://ijarmt.com ISSN No.: 3048-9458

इसके अतिरिक्त, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निगरानी और मूल्यांकन की एक सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समावेशी उपाय वास्तव में विद्यालयों तक पहुँच रहे हैं और अपेक्षित परिणाम दे रहे हैं। अंततः, डिजिटल शिक्षा के विस्तार को इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि यह 'डिजिटल विभाजन' को कम करे, न कि बढ़ाए। इसके लिए ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

6.3 भविष्य के अध्ययन की संभावनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिससे भविष्य के शोध के लिए अनेक नई संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं। भविष्य में प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित क्षेत्रीय अध्ययन किए जा सकते हैं, जिनमें शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के अनुभवों को सम्मिलित किया जाए। इससे समावेशी शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष को अधिक गहराई से समझा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन किन क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। ऐसे अध्ययन नीति-निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान कर सकते हैं।

भविष्य में डिजिटल समावेशन पर भी विशेष शोध की आवश्यकता है। यह अध्ययन किया जा सकता है कि ऑनलाइन और मिश्रित शिक्षण पद्धतियाँ किस हद तक वंचित और विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। इससे तकनीकी नवाचारों को समावेशी शिक्षा के साथ बेहतर ढंग से जोड़ा जा सकेगा। अंततः, दीर्घकालिक अनुदैर्ध्य अध्ययन किए जा सकते हैं, जो यह माप सकें कि समावेशी शिक्षा का विद्यार्थियों के शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार भविष्य का शोध समावेशी शिक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार, नई दिल्ली.
2. यूनेस्को. (2017). *समावेशी शिक्षा की दिशा में: नीतियाँ और व्यवहार*. यूनेस्को प्रकाशन, पेरिस.
3. यूनेस्को. (2019). *वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट: समावेशन और शिक्षा*. यूनेस्को, पेरिस.
4. कुमार, आर. (2018). भारत में समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ. *इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*, 12(2), 45–58.
5. कुमार, आर. (2020). नई शिक्षा नीति 2020 और सामाजिक न्याय. *जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन*, 46(3), 21–37.
6. कुमार, आर. (2021). माध्यमिक शिक्षा में समावेशन की नीतिगत दिशा. *एशियन जर्नल ऑफ एजुकेशन*, 9(1), 60–74.
7. शर्मा, एस. (2018). भारत में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा: एक नीतिगत अध्ययन. *जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया*, 7(2), 33–49.
8. शर्मा, एस. (2019). समावेशी शिक्षा: अवधारणा और व्यवहार. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज*, 14(1), 15–29.
9. शर्मा, एस. (2020). नई शिक्षा नीति 2020 में समावेशिता. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी स्टडीज़*, 5(2), 40–56.
10. शर्मा, एस. (2021). शिक्षा नीति और सामाजिक समानता. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी*, 6(1), 18–34.
11. सिंह, पी. (2018). समावेशी कक्षाओं में शिक्षण रणनीतियाँ. *जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन*, 10(3), 50–65.

12. सिंह, पी. (2019). माध्यमिक शिक्षा में सामाजिक विषमताएँ. *इंडियन जर्नल ऑफ एजुकेशन*, 45(2), 70–85.
13. सिंह, पी. (2020). दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी नीतियाँ. *जर्नल ऑफ स्पेशल नीड्स एजुकेशन*, 8(1), 22–39.
14. सिंह, पी. (2021). डिजिटल शिक्षा और समावेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजिटल लर्निंग*, 4(2), 55–71.
15. मिश्रा, ए. (2018). समावेशी शिक्षा का सैद्धान्तिक आधार. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल थ्योरी*, 6(1), 10–25.
16. मिश्रा, ए. (2019). शिक्षा में समानता और समावेशन. *इंडियन जर्नल ऑफ सोशल एजुकेशन*, 11(2), 35–50.
17. मिश्रा, ए. (2020). नई शिक्षा नीति और शिक्षण सुधार. *जर्नल ऑफ कंटेम्पररी एजुकेशन*, 13(1), 44–60.
18. मिश्रा, ए. (2021). माध्यमिक शिक्षा में समावेशी व्यवहार. *जर्नल ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस*, 15(2), 28–43.